

~~स्पीड पोस्ट~~

आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

47

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।

पटना, दिनांक :-

19-7-17

विषय:-


मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड 26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त, दिनांक-12.06.2017 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रचार प्रसार हेतु भाड़े पर लिए गये वाहन के विपत्र भुगतान हेतु विषयशीर्ष-0103.13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान से कुल ₹ 31,018/- ( ₹ एकतीस हजार अठारह ) मात्र का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा तथा इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी ।
4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँचते हुए नियमानुसार ही किया जाय।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक:- 6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

47

पटना, दिनांक

19-7-17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-


47

पटना, दिनांक

19-7-17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी पटना/\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /प्रशाखा-6,बजट शाखा (श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।